

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1141
ANSWERED ON 30.07.2025**

7th CPC implementation in ICSSR affiliated centres

**1141 Shri Javed Ali Khan:
Shri Neeraj Shekhar:**

Will the Minister of *Education* be pleased to state:

- (a) whether 7th Central Pay Commission (CPC) has not been implemented in all Indian Council of Social Science Research (ICSSR) affiliated research institutes and regional centers though 8th Pay Commission has been announced in January, 2025;
- (b) if so, the details thereof and reasons therefor;
- (c) whether Parliamentary Standing Committee on Education in its 364th Report has recommended to implement 7th CPC in all ICSSR affiliated research institutes and regional centers;
- (d) if so, the details thereof and the details of action taken to implement the same, so far; and
- (e) if no action has been taken, the reasons therefor?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(DR. SUKANTA MAJUMDAR)**

(a) to (e): In order to promote social science research in India, 24 Research Institutes across India, created either by a group of individuals under the Societies Registration Act, 1980, or as a public trust, or created by an Act of State Legislature, are being assisted through grant-in-aid by the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), Delhi under the "Rules of Grant-in-Aid to Societies and Institutes across Research in the field of Social Sciences, 1971," revised from time to time, provided that they fulfil all procedures and conditions laid down in the aforementioned rules.

The Parliamentary Standing Committee on Education in its 364th Report recommended implementation of the 7th CPC in all ICSSR affiliated Research Institutes and Regional Centres. The Parliamentary Standing Committee has also recommended that the ICSSR affiliated research institutions should try to generate their own revenue and seek funds from ICSSR through project mode, against defined outcomes of these funds.

Grant-in-aid, under the grant-in-aid rules mentioned above, are extended to these Research Institutes or Societies by the ICSSR, Delhi provided that they fulfil all procedures and conditions laid down in the above rules. Accordingly, a committee has been constituted for

examining the applicability of 7th Central Pay Commission recommendations in all Indian Council of Social Science Research (ICSSR) affiliated research institutes.

The matter regarding implementation of 7th Pay Commission in the regional centers of ICSSR is in process.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1141
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

आईसीएसएसआर से संबद्ध केंद्रों में 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन

1141 श्री जावेद अली खान:
श्री नीरज शेखर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से संबद्ध सभी अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में लागू नहीं किया गया है, जबकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी, 2025 में की जा चुकी है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 364वीं रिपोर्ट में आईसीएसएसआर से संबद्ध सभी अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की अनुशंसा की है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु, पूरे भारत में 24 अनुसंधान संस्थानों को, जो या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के तहत व्यक्तियों के एक समूह द्वारा, या एक सार्वजनिक न्यास के रूप में, या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं, को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), दिल्ली द्वारा "सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सोसायटी और संस्थानों को सहायता अनुदान के नियम, 1971" के तहत समय-समय पर संशोधित अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते कि वे उपर्युक्त नियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करें।

शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी शिक्षा समिति ने अपनी 364वीं रिपोर्ट में आईसीएसएसआर से संबद्ध सभी अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की सिफारिश की। संसदीय स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आईसीएसएसआर से संबद्ध अनुसंधान संस्थानों को अपना राजस्व स्वयं सृजित करने का प्रयास करना चाहिए और इन निधियों के निर्धारित परिणामों के आधार पर परियोजना मोड के माध्यम से आईसीएसएसआर से निधि प्राप्त करनी चाहिए।

उपरोक्त सहायता अनुदान नियमों के अंतर्गत, आईसीएसएसआर, दिल्ली द्वारा इन शोध संस्थानों या सोसाइटियों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि वे उपरोक्त नियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करें। तदनुसार, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से संबद्ध सभी शोध संस्थानों में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रयोजनीयता की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई है।

आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय केन्द्रों में सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है।
